

न्यायालय कलेक्टर बालाघाट (म0प्र0)

रा0प्र0क0/0030/अ-59 वर्ष 22-23

मौजा बघोली प0ह0नं0- 13

रा0.नि.मं बघोली तहसील वारासिवनी
जिला बालाघाट म.प्र.

महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना इकाई क.1 बालाघाट

आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

आदेश दिनांक

(पारित दिनांक 05 नवम्बर 2022)

महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना इकाई क.1 बालाघाट द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सड़क निर्माण/उन्नयन कार्य हेतु वन अधिकार संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भूमि व्यपवर्तन के तहत वन भूमि के विरुद्ध समतुल्य गैर वन भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने निवेदन किया गया है।

वन विभाग को ग्राम बघोली तहसील वारासिवनी स्थित शासकीय भूमि ख.न. 8 रकबा 41.723 हे. भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में नायब तहसीलदार वारासिवनी द्वारा प्रकरण न्यायालय में संस्थित कर प्रकरण में सम्पूर्ण जांच कर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वारासिवनी के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में ईशतहार का प्रकाशन किया गया है। निर्धारित अवधि में कोई दावा आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। राजस्व विभाग एवं वनविभाग के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा संयुक्त जांच की गई है। ग्राम बघोली तहसील वारासिवनी स्थित शासकीय भूमि ख.न. 8 रकबा 41.723 हे. भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में छोटे झाड़ का जंगल व घास मद में दर्ज है। अधिकार अभिलेख में उक्त भूमि पहाड चट्टान मद में दर्ज है। ग्राम की 2 प्रतिशत चरनोई भूमि सुरक्षित रखने के उपरांत 19.347 हे. भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने अनुशंसा सहित प्रतिवेदित किया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी रा. वारासिवनी द्वारा नायब तहसीलदार वारासिवनी

प्रतिवेदन से सहमत होते हुये मौजा बघोली तहसील वारासिवनी स्थित शासकीय भूमि ख.न. 8 रकबा 41.723 हे. मद छोटे झाड़ का जंगल दर्ज है। वर्तमान में उक्त भूमि पर

कलेक्टर
जिला बालाघाट (म.प्र.)

भगवान शिव का मंदिर लगभग 50 वर्षों से बना हुआ पाया गया है। उक्त खसरा नंबर की शेष भूमि रिक्त है, जिसे वन विभाग को हस्तांतरित किया जा सकता है। चरनोई रकबा 2 प्रतिशत सुरक्षित रखने के पश्चात् शेष रकबा 19.347 हे. वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने अनुशंसा की गई है।

मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। ग्राम बघोली तहसील वारासिवनी स्थित शासकीय भूमि ख.न. 8 रकबा 41.723 हे. भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में छोटे झाड़ का जंगल व घास मद में दर्ज है, में से 19.347 हे. भूमि वन विभाग को नायब तहसीलदार वारासिवनी तथा अनुविभागीय अधिकारी (रा0) वारासिवनी द्वारा वन विभाग को हस्तांतरित करने में अपनी सहमति दर्शायी है। प्रकरण में भूमि का स्थल निरीक्षण भी वन विभाग एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है तथा उन्होंने उक्त भूमि को वन विभाग को हस्तांतरित करने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

प्रकरण के अवलोकन उपरान्त राजस्व रिकार्ड में ग्राम बघोली तहसील वारासिवनी स्थित शासकीय भूमि ख.न. 8 रकबा 41.723 हे. भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में छोटे झाड़ का जंगल व घास मद में दर्ज है। अधिकार अभिलेख में उक्त भूमि पहाड़ चट्टान मद में दर्ज है। जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 24.11.2022 में पारित स्वीकृति प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कंडिका 16 के तहत तथा अनुविभागीय अधिकारी वारासिवनी एवं नायब तहसीलदार वारासिवनी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(2) के तहत ग्राम बघोली तहसील वारासिवनी स्थित शासकीय भूमि ख.न. 8 रकबा 41.723 हे. में से 19.347 हे. भूमि राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-दो की कंडिका 5 के तहत वन विभाग को हस्तांतरित की जाती है। महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना इकाई क.1 बालाघाट को निर्देशित किया जाता है, कि वे वन विभाग की समिति द्वारा जारी स्वीकृति की कंडिकाओं का पालन करते हुए कार्य संपादित करें।

आज दिनांक 05/12/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से आदेश पारित किया गया।



(डॉ. गिरीश कुमार शर्मा)
कलेक्टर बालाघाट (म.प्र.)
बालाघाट (म.प्र.)

पृ0क0/229/रीडर/कले0/2022
प्रतिलिपि :-

बालाघाट दिनांक-5/12/2022

- 1- महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना इकाई क.1 बालाघाट।
- 2- वनमंडलाधिकारी उत्तर/दक्षिण (सामान्य) वनमंडल बालाघाट
- 3- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) वारासिवनी।
- 4- नायब तहसीलदार वारासिवनी जिला बालाघाट।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रोषित।

(डॉ. गिरीश कुमार शर्मा)
कलेक्टर बालाघाट (म.प्र.)
बालाघाट (म.प्र.)